हल्दी
बीज
दर प्रसारण
913
24.06.24

...ERS PROD... 1/1/...

824

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

M P AGRO

क्र./मुख्या./उद्यान/प्रमाणित बीज/2024–25/ 913 दिनांक – 24/6/24

प्रसारण कं. – 01

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

....

विषय :– वर्ष 2024–25 एवं आगे की अवधि हेतु **प्रमाणित हल्दी बीज** की कय–विकय दरों के संबंध में।

संदर्भ :– निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 05.04.2024

निगम द्वारा वर्ष 2024–25 एवं आगे की अवधि के लिए प्रमाणित हल्दी एवं अन्य बीजों के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त वित्तीय ऑफर्स एवं समिति के निर्णय के कम में निम्नानुसार प्रदायकों की दरों का अनुमोदन किया जाता है :–

क0	उत्पादक का नाम	प्रमाणित बीज	किस्म	पैकिंग	कय दर (प्रति कि.ग्रा.)	विकय दर (प्रति कि.ग्रा.)
1	**मेसर्स कृषकोत्सव फारमर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमि0,** पटेल मशीनरी के पास, गीता सिनेप्लेक्स के सामने, मेन रोड, सिवनी–मालवा, जिला–होशंगाबाद (म.प्र.) 461223, मो0–9754333505,6250649090 ईमेल–krishakotsav@gmail.com	हल्दी	सुरामा PTS-24	30 कि.ग्रा.	131.43	138.00
2	**मेसर्स आर.के.ट्रेडर्स,** रूम नं. 26बी, द्वितिय तल, रतना प्लाजा, लिविस रोड़, भुवनेश्वर–751002 फोन नं0 8018208172 ईमेल–srlco.rktrader@gmail.com	हल्दी	सुरामा PTS-24	30 कि.ग्रा.	131.43	138.00
		हल्दी	रोमा PTS-10	30 कि.ग्रा.	131.43	138.00
3	**मेसर्स शिवशक्ति बीज एवं कृषि पौध विकय सहकारी समिति मर्यादित,** बनाडा, तहसील–सिवनी मालवा, होशंगाबाद मो0–9754333500 ईमेल – ap84821@gmail.com	हल्दी	सुरामा PTS-24	30 कि.ग्रा.	131.43	138.00

वर्ष 2024–25 एवं आगे की अवधि हेतु जारी रेट कांट्रेक्ट ऑफर निगम की बेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर रिकार्ड में रखा जाए तथा रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं कंडिकाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए ।

2. उपरोक्तानुसार उत्पादकों के बीजों की कय–विकय दरें प्रसारित की जा रही हैं। निगम द्वारा जारी अनुमोदित दरें प्रथम दर प्रसारण से आगामी 03 माह तक प्रभावशील रहेंगी, परन्तु इन दरों की प्रभावशीलता को निगम द्वारा नीवन दर प्रसारण होने तक बढ़ाया जा सकेगा ।

823

3. **प्रदायगी की शर्तें :–**

3.1 क्रेता विभाग से प्राप्त किस्मवार/प्रदायकवार मांग एवं अनुशंसा अनुसार निगम के जिला प्रबंधक प्राप्त मांग/क्रय आदेश मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित करेंगे । मुख्यालय, भोपाल द्वारा सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किए जाएगें । सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी।

3.2 विभागीय पोर्टल पर कृषक द्वारा प्रदायक का चयन किया जाना हैं, ऐसी स्थिति में विभाग से मांग प्राप्त होते समय प्रदायक के संबंध में स्थिति आवश्यक रूप से स्पष्ट करा ली जावे।

3.3 प्रदायक को निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरांत आदेश में दी गई निर्धारित अवधि में आदेशित मात्रा, पैकिंग एवं आरसीओ की शर्तों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

3.4 निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी विधिवत् सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा ।

3.5 परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेन्ट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

3.6 क्रेता विभाग की आवश्यकतानुसार प्रदायक वांछित मात्रा में पैकिंग कर बीज की प्रदायगी की जाना आवश्यक हैं। आवश्यकता अनुसार पैकेट पर सीड एक्ट/राज्य/केंद्र शासन के प्राधिकृत विभागों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप जानकारी अंकित की जाना होगी।

3.7 प्रदायक द्वारा प्रदाय किये गए बीज के बैगो में बीज प्रमाणिकरण संस्था के द्वारा जारी टैग निश्चित् रूप में लगे होने चाहिए। टैग कटे–फटे होने या उन पर अंकित जानकारी धुंधली होने की स्थिति में बीज प्राप्त नही किये जाएंगे।

3.8 आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

3.9 प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्रं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवें सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है ।
6	ग्यारवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है ।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो कि प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से की किये जाने वाले भुगतान राशि से वसूली की जावेगी।

.....3......

822

3.10 सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर कयकर्ता/उपयोगकर्ता को हुई हानि की भरपाई किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।

3.11 गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते केता/उपयोगकर्ता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है, तो ऐसी कार्यवाही के कम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित केता को किसी प्रकार की डिक्री अरोपित की जाती है, तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी/ प्रदायक को देय भुगतान में से निगम राशि का समायोजन कर सकेगा।

3.12 प्रदायक द्वारा बीज प्रदायगी के प्रकरण में बीज अधिनियम–1966, बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण अदेश 1983 के निर्धारित मापदण्ड एवं समय समय पर अद्यतन निर्देश पूरे करने होंगे।

3.13 बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के केता विभाग को किया जाता है, तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक ले सकेंगें।

4. <u>कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :–</u>

आदेशानुसार प्रदायक द्वारा निर्धारित मापदण्ड/ पैकिंग/समय–सीमा में सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा प्रदाय किया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है, तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

5. <u>भुगतान :–</u>

जिला प्रबंधक द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार केता विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (प्राप्तकर्ता विभाग, निगम के अधिकारीयों एवं प्रदायक के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) प्राप्त होने एवं निगम द्वारा जारी देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग/कृषक तथा निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा किया जा सकेगा।

(स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय–सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है एवं निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

......4......

821

6. प्रदायकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य शासकीय विभागों/संस्थाओं/उपकम या व्यक्ति को प्रदाय किए जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है, तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किए गए अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी । साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे ।

7. यह दरें निगम के माध्यम से व्यवसाय किये जाने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। इन प्रसारित दरों के अन्य किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित दर न माना जाए। यदि किसी भी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे प्रदायकों से कय किया जाता है तो उसके लिए निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रदायगी की शेष शर्तें रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार रहेंगी । इस प्रसारण के उपरांत प्रमाणित हल्दी बीज की पूर्व में प्रसारित विकय दरें स्वतः निरस्त मानी जावेंगी।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रबंधक (उद्यान)

क्र./मुख्या./उद्यान/प्रमाणित बीज/2024–25/ 914 **दिनांक** – 24/6/24

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, म.प्र. भोपाल ।
4. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त/उप–संचालक/सहायक संचालक (समस्त) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ ।
7. संबंधित उत्पादक/प्रदायक मैसर्स.. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंधक (उद्यान)

प्रपत्र –1

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान .... का आदेश कमांक ....

दिनांक ....

योजना का नाम...

घटक का नाम ....

वर्ष ....

निगम के मुख्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक ....दिनांक .... के कम में प्रदायक मेसर्स ....द्वारा चालान/देयक कं. .... दिनांक .... से निम्नानुसार प्रमाणित बीजों का प्रदाय किया गया है।

कं.	प्रमाणित बीज का नाम	बीज की किस्म	प्रदायक का चालान कं. /दिनांक	प्राप्त मात्रा	सामग्री की गुणवत्ता
1					
2					

उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन आज दिनांक .... को संबंधित कयकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। उपरोक्तानुसार सामग्री सही हालत में प्राप्त हुई है एवं बीज निगम मुख्यालय द्वारा जारी दर अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तो एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है, जिसे हितग्राहियों को वितरित करने की अनुशंसा की जाती है।

उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान

जिला प्रबंधक एम.पी.एग्रो

प्रदायक के हस्ताक्षर